

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

(21)

क्रमांक एफ 7-28/2009/आ०प्र०/एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02 जून, 2009

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, गवालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय:- अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (कीमीलेयर) के लिए निर्धारित मापदण्डों में संशोधन।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-18/2000/आ०प्र० /एक, दिनांक 25-2-03 एवं 28 जुलाई, 2006.

सामान्य प्रशासन विभाग के मूल परिपत्र क्रमांक एफ 7-18/2000/आ०प्र० /एक, दिनांक 25.02.2003 की कंडिका 6(क) में विभागीय परिपत्र दिनांक 28 जुलाई, 2006 द्वारा संशोधन कर पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (कीमीलेयर) दर्जे के निर्धारण हेतु पूर्व निर्धारित आय सीमा में वृद्धि करते हुए रूपये 2.50 लाख नियत की गई थी। साथ ही इस परिपत्र की कंडिका-4 में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा “कीमीलेयर” के लिए निर्धारित आय सीमा में जब-जब परिवर्तन होगा वह आय-सीमा राज्य के कीमीलेयर श्रेणी के लिए मान्य की जाएगी।

2/ भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्गों (कीमीलेयर) का निर्धारण करने के लिए आय-सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य में भी अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (कीमीलेयर) के निर्धारण हेतु वर्तमान निर्धारित आय-सीमा 2.50 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रूपये 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष निर्धारित की जाए। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के ..2..

..2..

परिपत्र क्रमांक 7-18/2000/आ०प्र०/एक, दिनांक 25 फरवरी, 2003 की कंडिका-6 में
निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

पूर्व निर्धारित मापदण्ड			संशोधित मापदण्ड		
क्र	प्रवर्ग का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा	क्र	प्रवर्ग का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
6.	आय/ सम्पत्ति का आंकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियों	6.	आय/ सम्पत्ति का आंकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियों
		(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षों से रूपये 2.5. लाख (रूपये दो लाख पचास हजार) या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले 3 वर्षों से इतनी सम्पत्ति है, जो धनकर अधिनियम में दी गयी छूट की सीमा से अधिक है।		(क) उन व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्रियों, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय रूपये 4.5 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार) या उससे अधिक है अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं। (ख) श्रेणी- I, II, III और V-क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय/ सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियों।	

स्पष्टीकरण
वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अकीला हशमत)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 7-28/2009/आ०प्र०/एक

भोपाल, दिनांक 02 जून, 2009

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, महासंघिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर ।
3. सचिव, मानो० मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
5. अध्यक्ष, म०प्र० व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल ।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
8. रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ।
11. सचिव, म०प्र० लोकसेवा आयोग, इन्दौर ।
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर.
13. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
14. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
15. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण / अभिलेख / पुस्तकालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आ०प्र० गजमिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग